


27/10
15

रौंड़

पगावली प्रस्तुत।, रेस्पो. की ओर से
 एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि
 तहत अदालत में दावा स्वार्जि किया जा
 चुका है अतः अब यह अपील स्वीकृत
 हो चुकी है। अपील को शिवाज
 दिलवाई गई। कोई भी उपस्थित
 नहीं हुआ। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार
 कर अपील अपिलान्त स्वीकार होने
 से स्वार्जि की जाती है। पगावली
 कानून दर्ज होना सम्भव है कम ही


 प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील अधिकारी, अलावर